Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 52 ⁄ 2024 सी.आई.एस.क्र.– 52 ⁄ 2024

सुरेन्द्र मुखिया एवं अन्य बनाम बेचन मुखिया एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
19.01.2026	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई पैरवी नहीं है। यह वाद प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश – 9 नियम – 7 दिवानी प्रक्रिया संहिता के आवेदन दिनांक 30.07.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा यह वाद स्वत्व की घोषणा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध लाया गया है परंतु प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु निर्गत सम्मन का तामिला न होने के कारण प्रतिवादीगण नियत समय के भीतर वाद में उपस्थित नहीं हुये हैं जिस कारण से उनके विरूद्ध दिनांक 01.05.2025 को एकपक्षीय सुनवाई करने का आदेश पारित किया गया है। इस वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित होकर अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर चुक हैं। अतः विनम्र निवेदन है कि दिनांक 01.05.2025 के आदेश को वापस लेकर प्रतिवादी के लिखित कथन को स्वीकृत करने की कृपा की जाये। वादी की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण सम्मन के सम्यक् रूप से तामिल होने के बाद भी जानबूझकर इस वाद में उपस्थित नहीं हुये हैं। तत्पश्चात उनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई किये जाने का आदेश पारित किया गया है जिसमें वादी की ओर से एक साक्षी को परीक्षित कराया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा यह आवेदन वादी को परेशान करने के उददेश्य से लाया गया है जिस कारण से यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्गत सम्मन का तामिला अभिलेख पर उपलब्ध है जो सम्यक् रूप से तामिल कराया गया है परंतु नियत समय के भीतर प्रतिवादीगण के उपस्थित न होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 01.05.2025 को एकपक्षीय सुनवाई किये जाने का आदेश पारित किया गया था। इस वाद में वादी की तरफ से एक साक्षी को परीक्षित कराया गया है। प्रतिवादीगण वाद में संघर्ष करने के लिये तैयार हैं तथा उनकी ओर से लिखित कथन भी दिनांक 30.07.2025 को प्रस्तुत किया जा चुका है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाना न्यायसंगत है। ऐसी दशा में न्यायहित में प्रतिवादीगण के इस आवेदन को **500 रूपये खर्च पर स्वीकृत** कर प्रतिवादीगण के लिखित कथन को स्वीकृत किया जाता है। वाद आगामी दिनांक 10.02.2025 वास्ते सुलह वार्ता। हस्ताक्षर ह0 ⁄ – अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	